न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 70/2020

अनुवान बलवान बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2020

बलवान पुत्र फूलाराम जाति जाट उम्र 63 वर्ष निवासी हरपालू कुबड़ी तहसील राजगढ जिला चूरू राजस्थान

–वादी –

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री रामनिवास सारण, श्री अमरचन्द सिद्ध वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 1242 तादादी 11.3900 हैक्टेयर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम बलवान पुत्र फूलाराम है। वादगत कृषि के अन्य सह काश्तकारों का वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादी के नाम संशोधन से उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए उन्हें बिना पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादगत कृषि भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादी का शुद्ध नाम बलवान पुत्र फूलाराम है। वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से

अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने का अधिकारी है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में बलवान पुत्र फूलाराम अंकित है। इसके अतिरिक्त रोही हरपालु कुबड़ी तहसील राजगढ की कृषि भूमि ख0 नं0 311/60 व ख0 नं0 313/237 में भी वादी का नाम बलवान पुत्र फूलाराम अंकित है जो सही है। वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी का वास्तविक नाम बलवान पुत्र फूलाराम है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का बालूराम पुत्र हरफुलराम होने के कारण वादी को केसीसी, विभिन्न सरकारी व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश गलत दर्ज नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम के स्थान पर सही नाम बलवान पुत्र फूलाराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादी तहसीलदार सरदारशहर से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत किया गया हैं।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 1242 तादादी 11.3900 हैक्टेयर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम बलवान पुत्र फूलाराम दर्ज किया जावें।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम बलवान पुत्र फूलाराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है एवं ग्राम पंचायत लम्बोर बड़ी ने भी बालूराम व बलवान तथा हरफुलराम व फूलाराम एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं के कथन के साथ प्रमाण पत्र जारी किया हैं।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. वादी के मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
2. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
3. पटवारी प.स. राजासर बीकान द्वारा जारी नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति।
4. जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 1242 की छायाप्रति।
5. जमाबन्दी सम्वत 2071/2072 खसरा नम्बर 823 की प्रमाणित प्रति।
6. वादी के जन–आधार कार्ड की एक्नॉलेजमेन्ट स्लिप की छायाप्रति।
7. कार्यालय ग्राम पंचायत लम्बोर बड़ी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
8. वादी के आधार–कार्ड की छायाप्रति।
9. जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 311/60, 313/237 की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं ग्राम पंचायत लम्बोर बड़ी ने भी बालुराम व बलवान तथा हरफुलराम व फुलाराम एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं अंकित किया हैं। बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम बलवान पुत्र फूलाराम अंकित है। वादी की सह खातेदार मानादेवी पत्नी लिछमणराम जाट ने शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध दर्ज चला आ रहा हैं जबकि वादी का वास्तविक नाम बलवान पुत्र फुलाराम हैं।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 1242 तादादी 11.3900 हैक्टेयर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम बलवान उर्फ बालूराम पुत्र फूलाराम उर्फ हरफुलराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	राजासर बीकान	1242	बालूराम पुत्र हरफुलराम	बलवान उर्फ बालूराम पुत्र फूलाराम उर्फ हरफुलराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 70/2020
अनुवान बलवान बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामनिवास सारण एडवोकेट, श्री अमरचन्द सिद्ध एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 1242 तादादी 11.3900 हैक्टेयर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बालूराम पुत्र हरफुलराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम बलवान उर्फ बालूराम पुत्र फूलाराम उर्फ हरफुलराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज.......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00